उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 13-9-88 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1988 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री हसन गफ़रान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री विष्णु स्वरूप	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
3- श्री एस०सी०दीक्षित	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
4- श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5- श्री ए०के०मिश्र	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
6- श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
7- श्री के०एम०लाल	संयुक्त आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1 2	3	4
1- दिनांक 11-7-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(1)/88	दिनांक 11-7-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2- परिषद की बैठक दिनांक 11-7-88 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(2)/88	परिषद की बैठक दिनांक 11-7-88 लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से परिषद को अवगत कराया गया।
3- परिषद के वर्ष-1988-89 के संशोधित आय-व्ययक का स्वीकृत किया जाना।	चतुर्थ/(3)/88	आवास आयुक्त द्वारा परिषद को पुन: अवगत कराया गया कि शासन द्वारा उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद को 12,000 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा कठिनाईयों को देखते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति किया जाना कदापि सम्भव नहीं हो पायेगा। विशेषकर जबकि बजट को वास्तविक रूप देते हुए 17,923 लाख रुपये से 11,800 लाख रुपये में पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पूर्व में हडको, बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, ऋण पत्र एवं शेयरों से काफी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होने की संभावना थी। लेकिन जब सम्बन्धित ऋण देने वाली संस्था से वार्ता लाप हुआ तो यह निष्कर्ष निकला कि इन संस्थाओं से जितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान था वह अब नहीं मिल पायेगी। इसी कारण हडको, बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ऋण पत्र में प्रस्तावित पुनरीक्षित अनुमानित धनराशि को कम कर दिया गया है। इस कारण बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए योजनाएं भेजना सम्भव नहीं हो सकेगा और बड़े शहरों में भूमि की कमी के कारण हडको को योजनायें भेजने में भी काफी कठिनाई उत्पन्न होगी भूमि अर्जन के लिए भी परिषद को काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि पुराने देय धनराशि से और भूमि अर्जन की जानी है। परिषद के पास उन शहरों में

1	2	3
		आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर भवनों/भूखण्डों की अच्छी माँग है और यदि परिषद इस वर्ष पर्याप्त भूमि अर्जन नहीं करती है तो परिषद को अगले वर्ष सामान्य कार्य करने में भी कठिनाई आयेगी तथा निर्माण कार्य में बढ़ोत्तरी होने के बजाय कमी होगी। इसके अतिरिक्त परिषद को पुराने अधूरे निर्माण कार्य को भी पूरा करने के लिए भी 14 करोड़ रुपये की तुरन्त आवश्यकता है। ऐसा न करने पर परिषद को अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने में और उन्हें आवंटन करने में अत्यधिक कठिनाई होगी क्योंकि पुराने अधूरे भवनों का निर्माण यदि पूरा नहीं किया जाता है तो परिषद अपने स्रोतों से धन एकत्र करने में सफल नहीं हो पायेगा। आवास आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि उच्च आय तथा मध्यम आय वर्ग तथा स्वयं वित्त पोषित भवनों का निर्माण नहीं किया जाता है तो 20 सूत्रीय के अन्तर्गत बनाये जा रहे भवनों के निर्माण में भी होने वाली हानि को पूरा करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा जो स्वयं वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत योजनाएं घोषित होने के उपरान्त जिनका पंजीकरण करा लिया गया है उनमें भी कार्य कराया जाना आवश्यक है अन्यथा इसमें विलम्ब होने के कारण पंजीकृत व्यक्तियों में बहुत असंतोष व्याप्त हो जायेगा। आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष-87-88 में 30 करोड़ से अधिक भूमि तथा विकास का कार्य एवं भवन निर्माण कार्य कराया गया है। इसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी 30 करोड़ के लगभग भूमि विकास तथा भवन निर्माण कार्य कराया गया है। परिषद द्वारा भी वर्ष-87-88 में लगभग 48 करोड़ का भूमि विकास तथा भवन निर्माण कार्य कराया गया है। उनका प्रस्ताव था कि शासन को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के टर्न ओवर को देखते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए तथा वर्तमान परिस्थितियों में परिषद 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,000 से अधिक भवन तथा साइट एण्ड सर्विसेज किसी भी दशा में निर्मित करने की स्थिति में नहीं है। आवास आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बजट में जो कमी की गयी है उससे ओवर हेड्स बढ़ जाने की भी आशंका है तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हो सकेंगे। आवास आयुक्त के उक्त मत से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० सहमत थे। उनका भी यही विचार था कि यदि परिषद द्वारा 5,000 से अधिक भवन बनाये जाते हैं तो परिषद की आर्थिक स्थिति बिगड़ जायेगी। उनका मत था कि इस बारे में शासन से सब्सिडी देने के लिए निवेदन किया जाए या शासन से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सॉफ्ट लोन की माँग की जानी चाहिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य को भी कम कराये जाने के बारे में वह आवास आयुक्त के मत से पूर्णतया सहमत थे। उनका यह मत था कि भूमि अर्जन के लिए शासन से

1	2	3	4
			10 करोड़ रुपये की माँग किया जाना उचित होगा अथवा एल0आई0सी0 से 10 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करना उचित होगा। शासन से 15 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप मिलना है। अध्यक्ष जी ने भी आवास आयुक्त के मत तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के मत से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा कि परिषद को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निभाना तो है लेकिन परिषद ने काफी बड़ी संख्या में मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों का पंजीकरण करता रहा है और वह कई वर्षों से भवन पाने की प्रतीक्षा में है, उन्हें भी शीघ्र ही भवन निर्मित कर उपलब्ध कराया जाना परिषद के हित में ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष जो भवन बनाये जाते हैं उनमें काफी बड़ी मात्रा में परिषद की धनराशि अवरुद्ध हो जाती है। परिषद मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों के हितों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे पाता। उनका भी यही विचार था कि शासन द्वारा यदि 5,000 से अधिक लक्ष्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा जाता है तो शासन को उसी के अनुरूप परिषद को धनराशि देनी होगी तभी 5,000 से ऊपर के भवन परिषद द्वारा बनाये जा सकेंगे। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि आवास आयुक्त शासन से पुनः अनुरोध करें कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 5-6 हजार भवन बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित करें इससे अधिक भवन वर्तमान स्थितियों में बनाया जाना सम्भव हो सकेगा। पूर्व के सुझाव के अनुसार उन्होंने इस बारे में शासन से सॉफ्ट लोन सब्सिडी की माँग करने पर भी बल दिया।
4-	परिषद योजनाओं में दु0आ0व0 के भवनों में छूट देने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/141/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को फिलहाल एक साल के लिए स्थगित कर दिया जाय।
5-	धनाभाव के कारण प्रतिकर धनराशि उपलब्ध न करा पाने के कारण अधिग्रहण/कब्जा हेतु परिषद की योजनाओं के कालातीत होने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/151/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों में कम्पनसेशन व मूल्य की दर में परिवर्तन होने पर प्रस्तावित धनराशि के अन्तर्गत ही तदनुसार कार्यवाही की जाय।
6-	वर्ष-1987 में विभिन्न शहरों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की इच्छा पर बयाना धनराशि के वापसी किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/161/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी एवं प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7-	बढ़पुर भूमि विकास एवं गृहस्थानी योजना सं0-1, फतेहगढ़ में ग्राम नेकपुरकलां के खसरा सं0-138 की 0.48 एकड़ भूमि पर श्री वीरेन्द्र सिंह कटियार सहायक परियोजना अधिकारी, जिला विकास कार्यालय कानपुर के निर्मित भवन को अर्जन मुक्त करने विषयक।	चतुर्थ/171/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी एवं प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
8-	योजना सं0-1, इटावा योजना सं0-1, शिकोहाबाद एवं कानपुर योजना सं0-1 फतेहगढ़ में कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य सम्पन्न कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/8/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
9-	दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मुरादाबाद की रामगंगा नदी से सुरक्षा हेतु फ्लडप्रोटेक्शन वर्क्स की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/9/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
10-	लखनऊ, आगरा, बुलन्दशहर, फैजाबाद एवं गोरखपुर में स्ववित्त पोषित-87 योजना के अन्तर्गत टाइप-2 प्रकार के भवनों के निर्माण के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/10/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
11-	लखनऊ/मुरादाबाद, देहरादून मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर तथा गोरखपुर में स्ववित्त पोषित-87 योजना के अन्तर्गत टाइप-1, टाइप-2 तथा टाइप-3 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/11/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
12-	लखनऊ में इन्दिरानगर विस्तार राजाजीपुरम, हर्दोई रोड तथा बुलन्दशहर योजना सं0-1 में वर्ष-1988-89 के लिए दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/12/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
13-	इन्दिरानगर योजना विस्तार के सेक्टर 9, 16, 17, 18, 19 में दुकानों का निर्माण कार्य।	चतुर्थ/13/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
14-	योजना सं0-1 खतौली में कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य कराने हेतु पुनरीक्षित एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/14/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
15-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-11 व सेक्टर-1 में हुडको परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0व0 व अ0आ0व0 के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/15/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
16-	लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, बुलन्दशहर, फैजाबाद, गोरखपुर में स्वयं वित्त पोषित-87 योजना के अन्तर्गत टाइप-1 तथा टाइप-2 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(16)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
17-	परिषद मुख्यालय भवन में आन्तरिक विद्युतीकरण के कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(17)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
18-	आवास परिषद के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं हेतु सेवा विनियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(18)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
19-	विधि अधिकारी का पदनाम विधि परामर्शी किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(19)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
20-	औबरी योजना सं0-1 बाराबंकी बीरभद्र योजना सं0-1, ऋषिकेश, राजाजीपुरम योजना लखनऊ योजना सं0-3 एवं 6 बरेली में वर्ष-88-89 के लिए दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(20)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है।
21-	बड़ौत योजना सं0-1 बड़ौत (मेरठ) में विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भगवानपुर योजना सं0-1 श्रीनगर (गढ़वाल) शाहाबाद योजना सं0-1 शाहाबाद (जिला-हरदोई) एवं बेतियाहाता पूर्वी योजना, गोरखपुर में विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(21)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
22-	परिषद द्वारा स्वीकृति मुख्य वित्तीय परामर्शदाता के पद के समक्ष मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर श्री डी0एन0उपाध्याय की तैनाती किया जाना।	चतुर्थ/(22)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
23-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्ड एवं भवनों के प्रबन्धन एवं पंजीकरण सम्बन्धी विनियमावली 1979 यथा संशोधित विनियम-जून 1986 के नियम-22 के अनुसार भू-पट्टे निर्माण हेतु समय वृद्धि के संबंध में।	चतुर्थ/(23)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि025-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से [illegible]

1	2	3	4
			अनुमोदित किया गया।
24-	परिषाद द्वारा 13 प्रतिशत बारहवीं श्रृंखला के ऋण पत्र सं0 रु0302.50 लाख के जारी किया जाना।	चतुर्थ/1241/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
25-	रु0 2 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/1251/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
26-	परिषाद द्वारा एच0डी0 एफ0सी0 से रु0 2 करोड़ से 3 करोड़ का ऋण लिया जाना।	चतुर्थ/1261/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया
27-	आवास परिषाद की तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 लखनऊ में स्थित उतरेठिया के खसरा नं0-547 हेक्टेयर 13 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाये गये गैस गोदाम का अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/1271/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
28-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद की अलोकप्रिय योजनाओं में सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं को भूमि/भवन योजना के प्रचलित दर पर देने के संबंध में।	चतुर्थ/1281/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
29-	परिषाद अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा।	चतुर्थ/1291/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
30-	मान एवेन्यू योजना में सुरक्षा विभाग से 1.58 एकड़ भूमि लिए जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/1301/88	परिषाद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषाद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
	अन्य विषय		
	1- परिषद कर्मचारियों को परिषद योजनाओं में निःशुल्क जलसुविधा। 2- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास एवं 3- दुर्बल आय वर्ग के परिषद कर्मचारी आवंटियों को भवन के मूल्य में लाभांश के स्थान पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त समिति में परिषद के शासकीय/अशासकीय सदस्यों को नामित कर दिया जाए तथा श्री ए०के०टण्डन, उप आवास आयुक्त के स्थान पर श्री वी०एन०उपाध्याय, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को नामित कर दिया जाए। सर्वसम्मति से समिति के लिए निम्नलिखित सदस्य नामित किए गये:- 1- श्रीमती उमा त्रिपाठी 2- श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ। 3- श्री जे०पी०भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०लखनऊ। 4- श्री के०एम०लाल, संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव। 5- श्री वी०एन०उपाध्याय, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।
	2- परिषद योजनाओं में बाह्य विद्युतीकरण कार्यों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित नीति निर्धारण।		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा विद्युत परिषद से अधिक से अधिक सुविधाएं बिना व्यय किये उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाय जैसा कि परिषद द्वारा पहले से ही किया जा रहा है जहाँ कहीं विद्युत परिषद भवन/भूखण्ड आदि आवंटित करने हेतु बहुत बल दे तो ऐसे प्रस्तावों पर आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष की अनुमति लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाया करें।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष

8/12